न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,हिण्डौन जिला करौली

पीठासीन अधिकारी :– हेमराज गुर्जर

R.A.S.

प्रकरण सख्याः–03/2011 दायर दिनांकः–12.01.2011

जीसीएमएस नं. 2011/00217

1. रतनलाल पुत्र घमण्डी जाति जाटव पेशा काश्तकारी निवासी हिण्डौन सिटी एवं खेडा तहसील हिण्डौन सिटी जिला करौली ——————————————सायल

बनाम

1. बुजरंगा पुत्र नहन्या जाति खटीक निवासी खेडा तहसील हिण्डौन –मृतक

1/1. सुरसा बेवा बजरंगा जाति खटीक निवासी खेडा तहसील हिण्डौन जिला करौली

1/2. विजय पुत्र स्व. बजरंगा जाति खटीक निवासी खेडा तहसील हिण्डीन जिली करौली

1/3. घनश्याम पुत्र स्व. बजरंगा जाति खटीक निवासी खेडा तहसील हिण्डौन जिला करौली

2. धर्मसिंह पुत्र मवासी जाति जाटव निवासी खेडा तहसील हिण्डौन

3. शिवराम पुत्र मवासी जाति जाटव निवासी खेडा तहसील हिण्डौन

4. मानसिह पुत्र मवासी जाति जाटव निवासी खेडा तहसील हिण्डौन

5. हरिमन पुत्र ल्हौरे जाति मीना निवासी मेढे का पुरा गाँव फैलीकापुरा तहसील हिण्डौन

–गैरसायलान–

प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थित :–1. श्री संजय शर्मा एडवोकेट सायल
2. श्री लखन लाल गोयल गैरसायलान नं0 2 ता. 4
3. श्री अशोक नीमनका गैरसायलान नं0 1/1

निर्णय

दिनांक :– 06.01.2026

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि सायल ने प्रार्थना पत्र बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध गैरसायलान पेश कर प्रार्थना पत्र के मद नं01 में दर्ज किया है कि सायल ने गैरसायलान के खिलाफ उपरोक्त उनवानी दावा सम्मानीय अदालत में दायर कर दिया है, जिसमें सायल को कामयाबी की पूर्ण उम्मीद है।

प्रार्थना पत्र के मद नं. 2 में दर्ज किया है कि कृषि भूमि खसरा न. 1249 रकवा 0.60 हैक्टेयर तथा खसरा नम्बर 1250 स्कया 0.28 हैक्टेयर बारानी दोयम वाके ग्राम खेडा तहसील हिण्डौन में स्थित है। जिसके 3/4 भाग का सायल रिकार्डेड खातेदार है। तया शेष 1/4 भाग के दावे के प्रतिवादी नं.1 व 2 रिकार्डेड खातेदार है। मौजूदा राजस्व रिकार्ड जमाबंन्दी संम्वत 2063–2066 उपरोक्तानुसार है।

प्रार्थना पत्र के मद नं. 3 में दर्ज किया है कि उपरोक्त भूमि मुतजिकरा मद नं. 2 दरख्वास्त से गैस्सायलान का कोई संम्बन्ध किसी प्रकार का नहीं है।

प्रार्थना पत्र के मद नं. 4 में दर्ज किया है कि उपरोक्त भूमि मुतजिका मद नं. 2 दरख्वास्त के रिकार्डेड खातेदार सायल तथा दावे के प्रतिवादी न. 1–2 के मध्य अभी तक विधिवत बंटवारा नहीं हुआ है। सम्पूर्ण भूमि को सायल तथा दावे के प्रतिवादी नं. 1 व 2 मुताबिक हिस्सा सम्मिलित रूप से काश्त करते हैं। सायल ने अपने हिस्सा की भूमि खसरा नं. 1249 में अपने धन तक श्रम से आलात काश्तकारी रखने एंव ढोर मवेशी बांधने हेतु 12 गैह पाटौर डाल रखी है दो पेड़ बबूल के वादी के लगाये हुये हरे खड़े हैं। इन पाटौरों तथा हरे वृक्षों से भी गैरसायलान का कोई संबंध किसी प्रकार का नहीं है।

प्रार्थना पत्र के मद नं. 5 में दर्ज किया है कि सायल सीधा सादा व्यक्ति है। गैरसायलान का एक गिरोह है जो सायल से रंजिश रखते हैं। और भूमि मुतनाजा में सायल के 3/4 हिस्सा पर जबरदस्ती कब्जा करना चाहते हैं। और पाटौरों से सायल को बेदखल करना चाहते हैं। सायल के लगाये हुये दो पेड़ बबूल को गैरसायल नं. 5 काटने पर तुला हुआ है। चुनाचे दिनांक 10.12.2010 को गैरसायलान, सायल के उपर यह कहते हुये हमलावर हुये कि उक्त भूमि के सायल के 3/4 हिस्से को सायल को काश्त नहीं करने देंगे और पाटौरों पर जबरदस्ती कब्जा करेंगे। बबूल के पेडों को काटेंगे। इस प्रकार गैरसायलान अपने नापाक इरादों में कामयाब हो गये तो सायल को अतुल्य तथा अपूर्त हानि होगी। जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी प्रकार संम्भव नहीं है। प्राइमाफेसी केस, वेलेन्स ऑफ कंन्वीनेंन्स, तथा अतुल्य क्षति का सिद्धांन्त सायल के पक्ष में शामिल है। इसलिये दरख्वास्त अस्थायी निषेधाज्ञा खिलाफ गैरसायलान दायर करना लाजिम आया।

अतः दरख्वास्त अस्थाई निषेधाज्ञा खिलाफ गैरसायलान पेश कर निवेदन किया है कि गैरसायलान को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे कि गैरसायलान ना तो स्वयं और ना ही दीगर व्यक्तियों की मदद से विवादित भूमि मुतजिकरा मद न. 2 दरख्वास्त खसरा नं. 1249 तया 1250 वाके ग्राम खेडा तहसील हिण्डौन के सायल के 3/4 हिस्सा में माने मजाहमत मदालखत पैदा न करें। सायल को अपने 3/4 हिस्सा को शांन्तिपूर्वक काश्त करते रहने देवें। सायल को बेदखल न करें। भूमि मुतनाजा को वेस्ट डेमेज एण्ड

एलीनेट ना करें। खसरा न. 1249 स्कवा 0.60 हैक्टेयर में स्थित सायल की 12 गैह पाटौरों से सायल को बेदखल ना करें। ना ही बबूल के पेड़ों को काटें। ना ही कोई ऐसा कृत्य करें जिससे हकूक सायल पर विपरित प्रभाव पड़े।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर गैरसायलान को जरिये नोटिस तबल किया गया। दिनांक 18.05.2011 को गैरसायल सं0 2,3,4 की ओर से श्री लखन लाल गोयल एडवोकेट ने वकालतनामा पेश किया एवं गैरसायल सं01 की ओर से श्री श्यामलाल शर्मा एडवोकेट ने बकालतनामा पेश किया तथा गैरसायल सं05 बावजूद तामील उपस्थित नहीं होने पर उसके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करने के आदेश दिये गये। दिनांक 29.08.2025 को गैरसायल सं01/1 की ओर से श्री अशोक नीमनका एडवोकेट ने बकालतनामा पेश किया जो मूल दावा में संलग्न है। दिनांक 16.09.2025 को गैरसायल सं0 1/2, 1/3 बावजूद तामील उपस्थित नहीं होने पर उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करने के आदेश दिये गये।

गैरसायल सं0 2 ता 4 ने जबाव प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पेश कर जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं01 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र का मद नं. 1 में पेश करना स्वीकार है लेकिन उपरोक्त दावे मे वादी को सफलता मिलने की उम्मीदनही है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं02 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र का मद नं 2 जिस तरह से तहरीर किया गया है। स्वीकार नही है। रेवन्यू रिकोर्ड गलत चला आ रहा है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं03 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र का मद नं०3 जिस तरह से तहरीर किया गया है। स्वीकार नही है। शेष उज्रात मजीद में दर्ज है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं04 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र मद नं. 4 गलत है। स्वीकार नही है। यह बात गलत है कि सायल ने अपने धन व श्रम से जमीनो में पाटोर डाली है। यह बात भी गलत है कि वादी सायल ने हरे पेड जो बबूल बगैरा के लगाये है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं05 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र का मद नं० 5 गलत है। स्वीकार नही है। जब सायल का जमीन पर कब्जा ही नही है। तो उसे वेदखल करने का प्रश्न ही नहीं उठता है। दावा गलत पेश किया गया है। तारीख 10.12.2010 वाली बात गलत अंकित की गयी है।

उज्रात मजीद :–

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं0 6 में दर्ज किया है कि सही बात यह है कि गैरसायल नं. 2, 3, 4 का सायल खास मामा लगता है। गैरसायल 2, 3, 4 के पिता ने

पूर्व खातेदार रूपचन्द से सायल के नाम रजिस्ट्री करा दी थी। क्योंकि मृतक मवासी का सायल खास साला लगता था । मृतक मवासी के पास कुछ रूपयों की कमी पड गयी थी। वादी से कुछ रूपये लेकर मृतक मवासी ने सायल के नाम रजिस्ट्री करा दी थी बाद में वादी सायल का हिसाब कर दिया था। किन्तु खातेदारी सायल के नाम चलती रही।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं07 में दर्ज किया है कि उपरोंक्त जमीन के 3/4 हिस्से में अलग से गैरसायल 2, 3, 4 ने 12 गेह पाटौर करीब 20 साल पुराने समय से डल रही है। जिसमें निवास करते है। पशु बांधाते है बिजली डली हुई है। बिजली का बिल गैरसायल सं० 2 के नाम है। मौके पर कब्जा गैरसायल सं० 2,3,4 का है। निवास के अलावा शेष जमीन पर गैरसायल सं० 2,3,4 काश्त करते है सायल का उक्त जमीन से कोई लेना देना नही है। दावा व संबंधित प्रार्थना पत्र गलत पेश किया गया है। सायल हिण्डौन में रहता है। जमीन गांव खेडा स्थित है। सायल का उक्त जमीन से कोई लेना देना किसी भी प्रकार का नही है। अब जमीन के भाव अत्यधिक बढ गये है लिहाजा सायल की नियत खराब होने से दावा एवं टीआई गलत पेश किये गये हैं।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं08 में दर्ज किया है कि दावा व संबंधित प्रार्थना पत्र किसी भी तरह से चलन लायक नहीं है। गैरसायल सं० 2,3,4 का 20 सालों से जमीन पर कब्जा है। तथा सारे गांव के इस बात को जानते है कि जमीन गैरसायल सं० 2,3,4 की है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं09 में दर्ज किया है कि गैरसायल सं० 2,3,4 का कब्जा खेत पश्चिम की तरफ हरिमोहन मीणा की खेत को तरफ है। यह कब्जा जा 3/4 हिस्से पर 20 सालो पुराना है। अतः गैरसायल सं० 2,3,4 का एडवर्स पजेशन भी हो गया। पूरा गांव यह बात जानता है कि साथ भी यह बात जानता है तथा गैरसायल सं0 1 भी यह बात जानता है।

अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र सायल मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

वकील सायल ने दस्तावेजी सबूत में फोटो प्रति नकल जमाबन्दी 2063–66, पेश की है।

वकुलाय फरीकेन उपस्थित। वकुलाय फरीकेन की बहस सुनी गई। वकील सायल ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया है और सायल का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया है। इसके विपरीत वकील गैरसायलान द्वारा जबाब प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराया गया और सायल का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

वकुलाय फरीकेन उपस्थित। वकुलाय फरीकेन की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। सायल की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी सबूत में फोटो प्रति नकल जमाबन्दी 2063–66 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 1249 रकबा 0.60 है0, 1250 रकबा 0.28 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.88 है0 वाके ग्राम खेडा तहसील हिण्डौन की खातेदारी चौथी पि0 अमरचन्द, गोविन्दी बेबा सूंसरिया, हि0ब0 हि0 1/4 जाति जाटव सा.देह, रतनलाल पुत्र घमण्डी जाति जाटव निवासी हिण्डौन हि0 3/4 खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 1249 रकबा 0.60 है0, 1250 रकबा 0.28 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.88 है0 वाके ग्राम खेडा तहसील हिण्डौन के सायल रिकोर्डेड सहखातेदार काश्तकार हैं। गैरसायल सं0 2,3,4 ने अपने जबाव प्रार्थना पत्र में दर्ज किया है कि गैरसायल नं. 2, 3, 4 का सायल खास मामा लगता है। गैरसायल 2, 3, 4 के पिता ने पूर्व खातेदार रूपचन्द से सायल के नाम रजिस्ट्री करा दी थी। क्योंकि मृतक मवासी का सायल खास साला लगता था । मृतक मवासी के पास कुछ रूपयों की कमी पड गयी थी। वादी से कुछ रूपये लेकर मृतक मवासी ने सायल के नाम रजिस्ट्री करा दी थी बाद में वादी सायल का हिसाब कर दिया था। किन्तु खातेदारी सायल के नाम चलती रही। उपरोंक्त जमीन के 3/4 हिस्से में अलग से गैरसायल 2, 3, 4 ने 12 गेह पाटौर करीब 20 साल पुराने समय से डल रही है। जिसमें निवास करते है। पशु बांधाते है बिजली डली हुई है। बिजली का बिल गैरसायल सं० 2 के नाम है। मौके पर कब्जा गैरसायल सं० 2,3,4 का है। निवास के अलावा शेष जमीन पर गैरसायल सं० 2,3,4 काश्त करते है सायल का उक्त जमीन से कोई लेना देना नही है। सायल हिण्डौन में रहता है। जमीन गांव खेडा में स्थित है। सायल का उक्त जमीन से कोई लेना देना किसी भी प्रकार का नही है। अब जमीन के भाव अत्यधिक बढ गये है लिहाजा सायल की नियत खराब होने से दावा एवं टी.आई. गलत पेश किये गये हैं। सायल ने ऐसा कोई भी दस्तावेजी सबूत पेश नहीं किया है कि जिससे यह साबित हो सके कि गैरसायलान के द्वारा सायल के हिस्से की भूमि के कब्जा काश्त में किसी प्रकार की मजाहमत मदाखलत पैदा की जा रही हो। ऐसी स्थिति में गैरसायलान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। सायल का प्रथमदृष्टया केस साबित नहीं और ना सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्तनीय क्षति का बिन्दू सायल के पक्ष में साबित है। पक्षकारान के अधिकार दावे में सुरक्षित हैं। ऐसे हालात में सायल का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध गैरसायलान खारिज योग्य न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः सायल का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध गैरसायलान विवादित आराजी खसरा नम्बर 1249 रकबा 0.60 है0, 1250 रकबा 0.28 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.88 है0 वाके ग्राम खेडा तहसील हिण्डौन खारिज किया जाता है तथा उक्त प्रकरण में दि0 12.01.2011 को जारी अन्तिरिम स्थगन आदेश विद्ड्ढो किये जाते हैं। पत्रावली फैंसल सुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम की जाकर मूल दावा के साथ शामिल मिसल रहे।

निर्णय आज दिनांक 06.01.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हेमराज गुर्जर) 6/1/26
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन जिला करौली